



नए CIC के तहत केंद्रीय सूचना आयोग

संदर्भ

हाल ही में देश के केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission) में सुधीर भारगव की नियुक्ति मुख्य सूचना आयुक्त (Chief Information Commissioner) के पद पर की गई। वह 2015 से सूचना आयुक्त के पद पर काम कर रहे थे। उनके साथ 4 अन्य सूचना आयुक्त भी नियुक्त किये गए हैं। अब आयोग में कुल 7 सदस्य हो गए हैं, जबकि अधिकृतम् स्वीकृत संख्या 11 है। शेष अन्य चार सदस्यों की नियुक्ति के लिये केंद्र सरकार ने विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगे हैं।

सूचना का अधिकार कानून के तहत हुआ गठन

भारत सरकार ने देश के नागरिकों को सरकारी क्रान्तिकारी देने और उस जानकारी का अधिक प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिये सूचना का अधिकार अधनियम, 2005 अधनियम किया। इसे 15 जून, 2005 को राष्ट्रपति ने स्वीकृती दी और इसी वर्ष 12 अक्टूबर को यह देशभर में लागू हो गया। सूचना अधिकार अधनियम, 2005 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया था। वजाहत हबीबुल्लाह देश के पहले मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए थे। सुधीर भारगव नौवें मुख्य सूचना आयुक्त हैं।

केंद्रीय सूचना आयोग की प्रमुख शक्तियाँ और कार्य?

- केंद्रीय सूचना आयोग की शक्तियों और कार्यों का उल्लेख सूचना अधिकार अधनियम की धारा 18, 19, 20 और 25 में किया गया है।
- इनमें मुख्य रूप से सूचना आवेदन दाखिल करने में असमर्थता आदतिथयों पर आधारित शक्तियों को प्राप्त करना और उनकी जाँच करना; सूचना प्रदान करने के लिये पुनः अपील का न्याय-निरिण्यन करना प्रमुख है।
- इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स के रख-रखाव के लिये नियंत्रण, स्वप्रेरणा से प्रकटन, RTI दाखिल करने में असमर्थता पर शक्तियों की प्राप्ति और जाँच आदि भी इसके कार्यों में शामिल हैं।
- साथ ही आरथिक दंड और अनुशरण तथा प्रतिविवरण आदि से जुड़ी शक्तियाँ भी आयोग में नहिं हैं।
- आयोग के नियंत्रण अंतमि और बाध्यकारी होते हैं, लेकिन इन्हें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।

केंद्रीय सूचना आयोग की संरचना

- सूचना का अधिकार अधनियम, 2005 के अध्याय-3 में केंद्रीय सूचना आयोग तथा अध्याय-4 में राज्य सूचना आयोगों के गठन का प्रावधान है।
- इस कानून की धारा-12 में केंद्रीय सूचना आयोग के गठन, धारा-13 में सूचना आयुक्तों की पदावधि एवं सेवा शर्ते तथा धारा-14 में उन्हें पद से हटाने संबंधी प्रावधान किये गए हैं।
- केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा अधिकृतम् 10 केंद्रीय सूचना आयुक्तों का प्रावधान है और इनकी नियुक्ति रिष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- ये नियुक्तियाँ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बनी समिति की अनुशंसा पर की जाती है, जिसमें लोकसभा में विधायिका का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री बतौर सदस्य होते हैं।

DoPT है इसका नोडल मंत्रालय

- कार्यालयिक और प्रशासनिक विभाग (DoPT) सूचना का अधिकार और केंद्रीय सूचना आयोग का नोडल विभाग है।
- अधिकारी सार्वजनिक उपकरणों और प्राधिकरणों को RTI अधनियम के अंतर्गत लाया गया है।
- केंद्र सरकार के 2200 सरकारी कार्यालयों और उपकरणों में ऑनलाइन RTI दाखिल करने और उसका जवाब देने की व्यवस्था है।
- ऐसा इन संस्थानों के कामकाज में अधिकृतम् पारदर्शता सुनिश्चित करने के लिये प्रतिबिद्धता को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
- आधुनिक तकनीक के उपयोग से RTI दाखिल करने के लिये अब एक पोर्टल और एप है, जिसकी सहायता से कोई भी नागरिक अपने मोबाइल फोन से कसी भी समय, कहीं से भी RTI दर्ज कर सकता है।
- राज्य सरकारों से भी अपने यहाँ RTI पोर्टल शुरू करने की व्यावहारिकता पर चियाकरने को कहा गया है।
- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NEC) को ऑनलाइन RTI पोर्टल बनाने में राज्य सरकारों की सहायता करने को कहा गया है।

क्या व्यवस्था है सूचना का अधिकार अधनियम में?

- सूचना का अधिकार अधनियम, 2005 के तहत सूचना आयोग सूचना पाने संबंधी मामलों के लिये सबसे बड़ा और अंतमि वकिलप है।
- इस कानून के तहत सबसे पहले आवेदक सरकारी वभिग के लोक सूचना अधिकारी के पास आवेदन करता है।
- अगर 30 दिनों में जवाब नहीं मिलता है तो आवेदक प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास अपना आवेदन भेजता है।
- अगर यहाँ से भी 45 दिनों के भीतर जवाब नहीं मिलता है तो आवेदक केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग में अपील करता है।
- इस कानून के तहत केंद्रीय सूचना आयोग द्वितीय अपील और शक्तियाँ पर सुनवाई करता है। उचित मामलों में केंद्रीय सूचना आयोग लोक सूचना अधिकारी पर जुर्माना भी लगाता है।
- यदि आयोग को लगता है कि किसी लोक सूचना अधिकारी ने याचिकाकरत्ता को जान-बूझकर परेशान किया है या जानकारी नहीं दी है तो CIC उस पर 25 हजार रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है।

प्रमुख अधिकार जो नागरकों को मिलते हैं

- प्रत्येक नागरकि को सरकार से सवाल पूछने का अधिकार
- सूचना हासिल करने और किसी सरकारी दस्तावेज़ की प्रत्यामिणने का अधिकार
- किसी सरकारी दस्तावेज़ का नरीकृषण करने का अधिकार
- सरकार द्वारा किये गए किसी काम का नरीकृषण करने का अधिकार
- सरकारी कारय में इस्तेमाल सामग्री के नमूने लेने का अधिकार
- सूचना आयोग के फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का अधिकार

नागरकों को जागरूक बनाने के लिये वार्षिक सम्मेलन

सूचना का अधिकार के प्रतिनियोगियों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिये केंद्रीय सूचना आयोग हर वर्ष वार्षिक सम्मेलन का आयोजन करता है। हर वर्ष इसकी थीम यानी विषय भनित होता है। इस वर्ष इसका 13वाँ वार्षिक सम्मेलन अक्टूबर, 2018 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस बार की थीम ‘डाटा नजिता एवं सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार अधनियम में संशोधन और सूचना का अधिकार अधनियम का कार्यान्वयन’ थी। इस सम्मेलन का उद्देश्य शासन में सुधार के लिये पारदर्शिता और उत्तरदायतिव को दुरुस्त बनाने हेतु उपाय सुझाना था।

सूचना का अधिकार यानी Right To Information (RTI) अधनियम में यह व्यवस्था की गई है कि नागरकि किसी प्रकार की सूचना सरकार से मांग सकेंगे और किसी प्रकार सरकार जवाबदेह होगी। इस अधनियम का मुख्य उद्देश्य सूचना का अधिकार प्रदान करके लोक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है।